

# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,  
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 0141-2715532

E-mail: trainings.rmsaraj@gmail.com

क्रमांक : रामाशिप/जय/प्रशिक्षण/विविध/2018-19/ 8616

दिनांक : 16/7/18

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि./प्रा.शि.)  
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक  
रमसा/एसएसए, समस्त जिले।

**विषय :- कक्षा 5, 8 तथा 10 के विद्यार्थियों के सतत् अध्ययन के सूचना संधारण बाबत।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षाध्यापकों से सत्र 2017-18 में अध्ययनरत कक्षा 5, 8 तथा 10 के विद्यार्थियों की सूचना निम्नानुसार संधारित करवाया जाना सुनिश्चित करें :-

- सत्र 2017-18 में कक्षा 5 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी सत्र 2018-19 में उसी विद्यालय की कक्षा 6 में अध्ययनरत हो। यदि विद्यालय में कक्षा 6 नहीं है अथवा कक्षा 6 होते हुए भी विद्यार्थी अन्यत्र चला गया है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों ने किस विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लिया है, इसका पूरा विवरण संधारित करें।
- सत्र 2017-18 में कक्षा 8 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी सत्र 2018-19 में उसी विद्यालय की कक्षा 9 में अध्ययनरत हो। यदि विद्यालय में कक्षा 9 नहीं है अथवा कक्षा 9 होते हुए भी विद्यार्थी अन्यत्र चला गया है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों ने किस विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश लिया है, इसका पूरा विवरण संधारित करें।
- सत्र 2017-18 में कक्षा 10 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी सत्र 2018-19 में उसी विद्यालय की कक्षा 11 में अध्ययनरत हो। यदि विद्यालय में कक्षा 11 नहीं है अथवा कक्षा 11 होते हुए भी विद्यार्थी अन्यत्र चला गया है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों ने किस विद्यालय में कक्षा 11 में प्रवेश लिया है, इसका पूरा विवरण संधारित करें।

उक्तानुसार दिनांक 31 जुलाई 2018 तक की सूचना का विद्यालय स्तर पर कक्षाध्यापकों से कराये जाने के संबंध में समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें।

(शिवांगी स्वर्णकार)  
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि - आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा/एसएसए, समस्त जिले को भेजकर लेख है कि उपर्युक्त आदेश की पालना करावें।
7. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त को भेजकर लेख है कि अपने तथा अपने पंचायत क्षेत्र के सभी विद्यालयों में उक्तानुसार सुनिश्चित करें।
8. कार्यालय प्रति।

www.rajteachers.com

(सुरेश चन्द्र)  
अति. राज्य परियोजना निदेशक